संख्या–786 / 68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2019

विषय :बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

आपको अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं सुधार को मापने हेतु परफारमेन्स ग्रेडिंग इन्डेक्स प्रणाली विकसित की गयी है, जिसमें लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस आउटकम्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड फेसिलिटी, इक्विटी आउटकम्स एवं गवर्नेन्स पर 70 इन्डीकेटर्स निर्धारित किये गये हैं। समस्त जनपदों में परफारमेन्स ग्रेडिंग इन्डेक्स में सम्मिलित 70 इन्डिकेटर्स में सुधार लाने की आवश्यकता है। परफारमेन्स ग्रेडिंग इन्डेक्स से संबंधित इन्डिकेटर्स की सूची पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक–1)।

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का जिला स्तर पर आपके नेतृत्व में कियान्वयन किया जा रहा है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं नियमित समीक्षा हेतु आपकी अध्यक्षता में निम्नवत् जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति का गठित की जाती है:–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)	सदस्य
4	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
5	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डी0आर0डी0ए0	सदस्य
6	प्रभारी अधिकारी, (एन0आर0एल0एम0)	सदस्य
7	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
8	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
9	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
10	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
12	जिला दिव्यांग जन संशक्तीकरण अधिकारी	सदस्य
13	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
14	जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
15	जिला विज्ञान सूचना अधिकारी	सदस्य
16	लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा	सदस्य

17	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा	सदस्य
18	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाय, जिसमें निम्नलिखित विषयों/विन्दुओं पर अवश्य समीक्षा की जाये–

1. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जनपदीय कार्यालयों एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों में संविदा एवं सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की समीक्षा, नवीनीकरण की स्थिति एवं वेतन/मानदेय भुगतान की स्थिति। (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुत की जायेगी)
2. मध्यान्यह् भोजना योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर/ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा किये गये **निरीक्षण की स्थिति** एवं पायी गयी कमियों के निराकरण स्थिति। (प्रेरणा पोर्टल से डाउन लोड की गयी सूचना के आधार पर)
3. आपरेशन कायाकल्प–
   - I. 'आपरेशन कायाकल्प' के अर्न्तगत विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने की कार्यवाही कराया जाना। (प्रेरणा पोर्टल में निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर चेक लिस्ट संलग्नक–2 एम0आई0एस0 रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा)
   - II. शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में अतिक्रमण की समस्या का निराकरण कराना। (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर)
   - III. शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु नगर निकायों के 14वें वित्त आयोग निधि, स्मार्ट सिटी फण्ड एवं राज्य वित्त आयोग आदि से वित्त पोषित किया जाना।
   - IV. विद्यालयों के जर्जर भवनों की स्थिति की समीक्षा कर नियमानुसार जर्जर घोषित कराने की कार्यवाही कराना एवं वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना। (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर)
   - V. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी स्कूल कम्पोजिट ग्राण्ट के उपभोग की समीक्षा। (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर)
4. प्रेरणा प्रणाली–

   प्रेरणा प्रणाली पर अपलोड की गयी सूचना का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा–
   - I. सूचना अपलोड न कराने वाले शिक्षकों/विद्यालयों का प्रतिशत।
   - II. विकास खण्डवार शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत।
   - III. विकास खण्डवार छात्र–छात्राओं की उपस्थिति का प्रतिशत।
   - IV. विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक आयोजित कराने वाले विद्यालयों का प्रतिशत।
   - V. बेस लाइन/मिड लाइन/एण्ड लाइन मूल्याकंन के आधार पर ग्रेडिंग किये गये विद्यालयों का प्रतिशत।
5. **सर्पोटिव सुपरविजन की समीक्षा–** (प्रेरणा गुणवत्ता पोर्टल से डाउनलोड सूचना के आधार पर संलग्नक–3)
   - I. ब्लाक स्तर पर सह–समन्वयकों के रिक्त पदों पर चयन।
   - II. विद्यालयों में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षकों द्वारा "दीक्षा" एप से डाउनलोड की संख्या तथा देखे जाने की समयावधि (viewing time) की समीक्षा किया जाना। (दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड)
   - III. कियाशील पुस्तकालय वाले विद्यालय का प्रतिशत। (Prerna Supportive Supervision Module से डाउनलोड करके लिया जाये)

IV. स्पोटर्स सुविधाओं वाले विद्यालयों का प्रतिशत। (Prema Supportive Supervision Module से डाउनलोड करके लिया जाये)

V. रिमीडियल टीचिंग वाले विद्यालयों की समीक्षा। (Prerna Supportive Supervision Module से डाउनलोड करके लिया जाये)

VI. ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्टर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था है कि नहीं?

VII. Prerna Supportive Supervision Module के आधार पर किन आवश्यक बिन्दुओं पर कार्यवाही नहीं हो रही है। उसकी समीक्षा।

6. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय– (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर)

I. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा।

II. Gap Analysis के अनुसार विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कराने की समीक्षा, विद्यालयों की ग्रेडिंग तथा 'C' ग्रेड एवं 'विशेष श्रेणी' के विद्यालयों में सुधार लाना।

III. छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था।

7. समेकित शिक्षा कार्यक्रम–

I. विशिष्ट आवश्यकता वाले Visually Impaired एवं Hearing Impaired दिव्यांग बच्चों हेतु जनपद में संचालित एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प के संचालन की समीक्षा। (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत Gap Analysis के आधार पर)

II. समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार कितने बच्चों को IT/RT द्वारा Mainstreaming किया गया है?

8. विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों/अनुदेशकों के मानदेय भुगतान की स्थिति।

9. वित्तीय समीक्षा– जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि की व्यय की स्थिति और एस0एम0सी0/एम0डी0एम0 खातों में हस्तांतरण की स्थित। (लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर)

10. छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं पाठ्य–पुस्तकों का समय से वितरण एवं नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही।

11. छात्र–छात्राओं को स्कूल बैग, जूता–मोजा एवं स्वेटर का समय से वितरण एवं नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही।

12. शारदा पोर्टल के आधार पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विद्यालयों में नामाकंन एवं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा।

13. मध्यान्ह भोजन योजना–

I. प्रेरणा मध्यान्ह् भोजन योजना एम0ई0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार कितने स्कूलों में माह में भोजन नहीं बना और किन–किन कारणों सें?

II. जनपद स्तर से विद्यालयों को मध्यान्ह भोजन निधि में कन्वर्जन कॉस्ट के हस्तांतरण की प्रगति (प्रतिशत में)

III. रसोईयों के मानदेय भुगतान की स्थिति।

IV. परिवाहन लागत के भुगतान की स्थिति।

V. खाद्यान्न के भुगतान की स्थिति।

14. स्थानीय आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाये जिसमें उपर्युक्त बिन्दुओं पर समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा शासन को मासिक बैठक की कार्यवृत्त भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीया,
02/9/19
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव महोदय।
2. मण्डलायुक्त समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. प्राचार्य, डायट, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
02.9.19
(उमेश कुमार तिवारी)
अनुसचिव